न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/47 जिला–अजमेर

जसवन्त कुमार चौधरी पुत्र रिखबचन्द, जाति जैन निवासी मुणोत नगर, ब्रह्मनन्द मार्ग, ब्यावर जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
दिनांक 09–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 61/2021 (2021/265)
बउनवान जसवन्त बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नक्शे में रास्ते की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन कियाकि ग्राम नरबदखेड़ा स्थित आराजी खसरा नम्बर 831 रकबा 0.7527 हैक्टर भूमि मे अपीलार्थी का 3/4 हिस्सा विद्यमान है उक्त भूमि में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खसरा नम्बर 846 के नए नम्बर 1783/846 सहित अन्य नम्बरान में स्थित है, से खसरा नम्बर 846 के नए खसरा नम्बर 1784/846 में होते हुए आवागमन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की भूमि पर आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता गत 50 वर्षो से अधिक समय से मौके पर मौजूद है। हाल ही में राजस्व अभिलेख ऑनलाईन किया गया इस दौरान खसरा नम्बर 1784/846 के राजस्व मानचित्र में जो रास्ता दर्शित हो रखा था उसे विलोपित कर दिया गया एवं वर्तमान मं डीआईएलआरएमपी योजना के तहत खसरा नम्बर 1784/846 मानचित्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है उसमें रास्ता दर्शित नहीं किया गया है रास्ता दर्शित नहीं होने की स्थिति में कई व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण उक्त आराजियात पर करने पर आमादा है। साथ ही अपीलार्थी व अन्य सहखातेदार के आवागमन को भी बाधित किया जा रहा है। अतः खसरा नम्बर 846 के नवीन खसरा नम्बर 1784/846 में पूर्व की भांति रास्ता दर्शित किया जावे। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा भी उक्त सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब में अंकन किया है कि ग्राम नरबदखेड़ा के खसरा नम्बर 831 रकबा 0.7527 हैक्टर भूमि में अपीलार्थी का 3/4 हिस्सा व सुशीला रांका 1/4 हिस्से की खातेदार है खसरा नम्बर 1783/846 रकबा 0.1942 हैक्टर भूमि सड़क परिवहन के नाम एवं खसरा नम्बर 1784/846 राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित दर्ज है खसरा नम्बर 831 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1784/846 का ही उपयोग किया जाता है। किन्तु पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शे में 1784/846 में रास्ते की तरमीम नहीं है। राजस्व अभिलेख नियमानुसार ऑनलाईन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कोर्ट केम्प प्रशासन गावों के संग अभियान में नियत की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 से निरस्त कर कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजिहयात खसरा नम्बर 831 रकबा 0.7527 हैक्टर भूमि में अपीलार्थी का 3/4 हिस्सा विद्यमान है उक्त भूमि में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खसरा नम्बर 846 के नए खसरा नम्बर 1783/846 सहित अन्य खसरा नम्बरान में स्थित है से खसरा नम्बर 846 के नए खसरा नम्बर 1784/846 में होते हुए आवागमन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की भूमि पर आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है यह रास्ता गत 50 वर्षो से अधिक समय से मौके पर मौजूद है हाल ही में राजस्व अभिलेख ऑनलाईन किया गय। इस दौरान खसरा नम्बर 1784/846 के राजस्व मानचित्र में जो रास्ता दर्शित हो रखा था उसे विलोपित कर दिया गयाएवं वर्तमान में डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत जो खसरा संख्या 1784/846 मानचित्र अपलोड किया गया है उसमें रास्ता दर्शित नहीं किया गया जो कि स्पष्टतया राजस्व अभिलेख में की गई लिपिकीय त्रुटि रही है। तहसीलदार ब्यवर द्वारा उक्त

संबंध में जवाब्रस्तुत कर कथन कियाकि खसरा नम्बर 831 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1784/846 का ही उपयोग किया जाता रहा है किन्तु कम्पयूटरीकृत मानचित्र में डोटेड रास्ते के अंकन हेतु किसी प्रकार का प्रावधाननहीं होने की वजह से उसको मानचित्र में अंकन किया जाना संभव नहीं है। उक्त जवाब से स्पष्ट है कि पूर्व में राजस्व मानचित्र में वर्तमान कम्पयूटरीकृत राजस्व मानचित्र में एकरूपता नहीं रखी गई है एवं नक्शे में स्थित डोटेड लाईन रास्ते को हटाये जाने में त्रुटि कारित की है जो दुस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी व उनके सहखातेदारान द्वारा खातेदारी की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 846 उपयोग में आ रहा है बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 59 के तहत मोके अनुसार रास्ता सार्वजनिक घोषित किया जाकर तरमीम किया जावे जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27–10–1995 को मोका देखकर तहसील में प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया जिसमे किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। अतःउक्त भूमि खसरा नम्बर 846 जो कि सरकारी पर 60 फिट चौड़ा रास्ता तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 27–10–1995 को पारित किये गये । उक्त अनुपालना में राजस्व अभिलेख व नक्शे में खसरा नम्बर 846 रास्ते की तरमीम कर अंकन किया गया जिस बाबत राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 1784/846 रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ है जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र धारा 136 के साथ प्रस्तुत करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र करेक्शन ऑफ एन्ट्री का प्रकरण नहीं पाये जाने के कारण खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1784/846 जो कि तहसीलदार ब्यावर के आदेश दिनांक 27–10–1995 की अनुपालना में खसरा संख्या 846 रास्ते की तरमीम कर कायम किया गया है। इसके पश्चात राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से अंकन किया गया है। खसरा नमबर 846 जो कि राजकीय सिवायचक आराजी रही है व अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता दर्ज रहा है जिसे ऑन लाईन जारी करते हुए नक्शे में दर्शाए नहीं जाने के कारण उक्त रास्ते को ऑन लाईन नक्शे में पुनः तरमीम करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा ऑन लाईन नहीं दर्शाये जाने के कारण धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नक्शा लंकलाट में डोटेड रास्ते की तरमीम किया जाना स्वीकार किया है किन्तु नियमों के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटरीकृत मानचित्र में डोटेड रास्ते के अंकन हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने की वजह से मानचित्र में अंकन किया जाना संभव नहीं है वर्णित किया है जिसे आधार मानते हुए एवं बटा नम्बर से नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है, का अंकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत निरस्त किये जाने में कानूनी त्रूटि कारित की गई जो निरस्तनीय है। जबकि अपीलार्थी का आवागमन खसरा नम्बर 840 में से ही किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों

के संग अभियान में पत्रावली को नियत किया जाकर बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत एक मात्र सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए राजस्व प्रार्थना पत्र को प्रकरण में नियत किया जाकर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। प्रस्तुत प्रकरण धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को दोनों पक्षकारों की सहमति से स्वीकृति के आधार पर ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–11–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी हल्का की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 9–11–2021 के अनुसार ग्राम नरबदखेड़ा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 जमाबंदी सम्वत 2076 से स्थायी खाता संख्या 125 के अनुसार खसरा नम्बर 831 रकबा 0.7527 हैक्टर भूमि जसवन्त कुमार पुत्र रिखबचन्द हिस्सा 3/4 एवं सुशीला रांका पत्नी नेमीचन्द रांका हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। ग्राम नरबदखेड़ा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076 अनुसार खसरा नम्बर 1783/846 रकबा 0.1942 हैक्टर भूमि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के नाम एवं खसरा नम्बर 1784/846 रकबा 5.0221 हैक्टर भूमि राजकीय कार्यालयों के आवास हेतु आरक्षित दर्ज रेकार्ड है। खसरा नम्बर 831 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1784/846 का ही उपयोग किया जाता है। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लंकलाट में खसरा नम्बर 1784/846 में रास्ते की किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं है। राजस्व अभिलेख नियमानुसार ऑनलाईन किया गया है। जमाबंदी व राजस्व मानचित्र की एकरूपता व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेकार्ड ऑनलाईन किया गया है। खसरा नम्बर 1784/846 में वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा मौके पर वर्तमान में भूमि रिक्त है।

यहां यह भी उल्लेखीय है ग्राम नरबदखेडा के खसरा नम्बर 846 में तत्समय नक्शा लकलाट में रास्ते की तरमीम नहीं की गई थी क्योंकि नक्शा लंकलाट में उक्त खसरा में किसी प्रकार की कोई तरमीम होना ही नहीं पाया गया है साथ ही तथाकथित डोटेड रास्ते का अलग से बटा नम्बर देकर नामान्तरकरण की कार्यवाही भी नहीं की गई है। हाल ही में राज्य सरकार की डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के तहत जमाबंदी मे वर्णित प्रत्येक खसरा की वन टू वन मेपिंग करते हुए कम्पयूटरीकृत राजस्व मानचित्र में तरमीम की गई है जिसमें बंटा नम्बर व विधिक रूप से नामान्तरकरण की कार्यवही नहीं किये जाने से रास्ते की तरमीम का अंकन भी नहीं हुआ है जो दस्तावेजी साक्ष्यों से भलीभांति सिद्ध होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रतीत नहीं होने के कारण अपीलार्थी को इस अपील में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2021 (2021/265) बउनवान जसवन्त कुमार बनाम तहसीलदार, ब्यावर विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर